समझौता ज्ञापन (MOU)

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी
एवं
महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन

आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग के लिए

यह समझौता ज्ञापन (MoU) इस 11 जुलाई 2024 को महार्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय (एमएमवाईवीवी), करौंदी, पोस्ट-महनेर, जिला-कटनी , मध्यप्रदेश 483332 और महार्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय (एमपीएसईवीवी), देवास रोड , उज्जैन 456010 के बीच किया गया है।

1. उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एमएमवाईवीवी और एमपीएसईवीवी के बीच आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करना है। इस सहयोग का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ावा देना, शैक्षिक और अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ाना, और शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है।

2. सहयोग के क्षेत्र

पक्षकार निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए सहमत हैं:

a. **शैक्षिक आदान-प्रदान:** शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों, शोधकर्ताओं और छात्रों का आदान-प्रदान।

b. **अनुसंधान सहयोग:** आपसी हित के विषयों पर संयुक्त अनुसंधान गतिविधियाँ, जिनमें अनुसंधान परियोजनाएँ, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ और सम्मेलन शामिल हैं।

c. **पाठ्यक्रम विकास:** वैदिक अध्ययन, संस्कृत और संबंधित क्षेत्रों में पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री के विकास और सुधार में सहयोग।

c. **पाठ्यक्रम विकास:** वैदिक अध्ययन, संस्कृत और संबंधित क्षेत्रों में पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री के विकास और सुधार में सहयोग।

d. **संसाधन साझाकरण:** पुस्तकालय संसाधनों, अनुसंधान प्रकाशनों और अन्य शैक्षिक सामग्री का साझाकरण।

e. **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** आपसी सांस्कृतिक समझ और सराहना को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, साहित्यिक उत्सवों और कार्यक्रमों का आयोजन।

3. क्रियान्वयन

इस समझौता ज्ञापन का क्रियान्वयन दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से विकसित विशिष्ट कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से किया जाएगा। विशिष्ट गतिविधियों के लिए विस्तृत समझौते आवश्यकता अनुसार विकसित किए जाएंगे।

4. वित्तीय व्यवस्था

जब तक अन्यथा लिखित रूप में सहमत न हो, प्रत्येक पक्ष अपने स्वयं के खर्च और लागतों को वहन करेगा जो इस समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन से संबंधित हैं।

5. अवधि और समाप्ति

यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नवीनीकृत या विस्तारित किया जा सकता है। कोई भी पक्ष छह (6) महीने की लिखित सूचना देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है।

6. संशोधन

इस समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन लिखित रूप में होना चाहिए और दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

7. विवाद समाधान

इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विवाद को आपसी परामर्श और वार्ता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा।

8. कानून का शासन

यह समझौता ज्ञापन भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित किया जाएगा।

9. हस्ताक्षर

इस समझौता ज्ञापन को प्रथम ऊपर लिखित तिथि पर पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है।

महार्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के लिये

[नाम]
[पद]
[तारीख]

हस्ताक्षर

REGISTRAR
MAHARSHI PANINI SANSKRIT EVAM VEDIC VISHWAVIDYALAYA
UJJAIN (M.P.)

महार्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के लिये

[नाम]
[पद]
[तारीख]

हस्ताक्षर

कुलसचिव
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय

साक्ष्य का विवरण

1। हस्ताक्षर
नाम डॉ. शुभम शर्मा
पद विभागाध्यक्ष (प्र.)
ज्योतिर्विज्ञान विभाग
म.पा.सं.वै.वि.वि.

2। हस्ताक्षर
नाम डा० मानवेन्द्र पाण्डेय
पद विभागाध्यक्ष ज्योतिष

/